

प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संशोधति नीतिको मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधति नीतिको मंजूरी दे दी है। इस नीतिमें सरकार ने आगामी पाँच साल के भीतर एक हज़ार स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है, इसके अलावा स्टार्टअप को दिये जाने वाले प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की है।

प्रमुख बडि

- जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करेगी। इससे नवाचार आइडिया पर बिजनेस शुरू करने के लिये युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फंड मलि सकेगा। अभी तक स्टार्टअप को वेंचर नविशक ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते थे।
- ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार में वजिता नवाचार आइडिया को दी जाने वाली पुरस्कार राशिको 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कयि गया है। इसके अलावा यदि कोई स्टार्टअप कंपनी क्रय वरीयता नीतिमें पंजीकरण होती है तो सरकारी वभिग 10 लाख रुपए तक सीधे स्टार्टअप से खरीद कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एक साल तक नशुल्क इन्क्यूबेशन की सुवधि भी दी जाएगी।
- स्टार्टअप कंपनी के उत्पाद को ट्रेक मार्क लेने के लिये सरकार की ओर से प्रतटिरेडमार्क 10 हज़ार रुपए की सहायता राश दी जाएगी। इसके अलावा दो उत्पादों को पेटेंट कराने के लिये 1 से 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता मलिंगी। उत्पादों का डिजाइन कराने के लिये नीतिमें 10 हज़ार रुपए की सहायता देने की व्यवस्था की गई है।
- नीतिमें सरकार ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिये 10 लाख रुपए तक एकमुशत सीड फंडगि की व्यवस्था की है। महिला, अनुसूचति जाति, जनजाति, वकिलांग, ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप को 5 लाख की राश मिलिंगी।
- सरकार द्वारा नई नीतिमें स्कूल व कॉलेजों के साथ ही जिला स्तर पर नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दयि जाएगा। इससे नये नवाचार आइडिया को सरकार प्रोत्साहति करेगी।